क्रमांक 82/25

दिनांक 25.09.25

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री हरिश, उमेद ... पुत्र ~~श्री~~ ~~श्री~~ कालीबाई ... पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम शेखापुर ... पटवार हल्का ... हण्डला ... तहसील ... जिला बारां की मालू जमाबंदी सम्वत् 2076-79 के खाता संख्या 64 में खातेदार ~~[illegible]~~ का नाम/~~जाति~~ कांतीबाई ... अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से कालीबाई ... अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पर की जाने पटवारी से करवाने पर पटवारी ने कांतीबाई ... के स्थान पर कालीबाई ... हण्डला ... करना उचित बताया। तहसीलदार स्तर से भी सभी स्थानों में कांतीबाई के बजाय कालीबाई ... करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूमिसुधार अधिनियम एवं नियम 369 राजस्थान भूमिसुधार (भू अभिलेख) नियम 1956 के ग्राम शेखापुर के खाता संख्या 64 में खातेदार ~~[illegible]~~ के नाम ~~[illegible]~~ कांतीबाई के स्थान पर कालीबाई ... आदेश दिया जाता है। तहसीलदार स्वयं तद्नुसार ... अभिलेखों में दुरुस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
Sub Divisional Officer
छबड़ा (बारां)